बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सू०सं०–निग/सारा–9(आरोप)–103/2010 203 (S) पटना, दिनांक :– 09/01/26

श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड), सम्प्रतिः सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा के पदस्थापन काल में अलकतरा अधिप्राप्ति के मामले में आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी करने इत्यादि आरोपों के लिए इनके विरूद्ध दर्ज सी०बी०आई० कांड संख्या–RC-16(A)/2009 (R) दिनांक–16.09.2009 में दिनांक–11.02.2013 से 15.04.2013 तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–9940 (एस) दिनांक–27.12.2013 के द्वारा श्री सिन्हा को काराधीन अवधि हेतु निलंबित किया गया। तत्पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3577 (एस) अनु० दिनांक–07.05.2014 के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित पाये गये आरोप के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–11867 (एस) दिनांक–20.12.2017 के द्वारा "दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड" संसूचित किया गया, साथ ही निर्णय लिया गया कि निलंबनावधि के विनियमन के संबंध में CBI कांड में अंतिम रूप से न्याय निर्णय होने के पश्चात ही नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

2. उक्त CBI कांड में माननीय विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० राँची के द्वारा दिनांक–29.03.2019 को पारित आदेश में भा0द0वि0 की धारा–420, 468, 471 एवं 120बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम–1988 की धारा–13(2) एवं 13(1)(D) के तहत श्री सुनील कुमार सिन्हा को दोषी मानते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी। तद्आलोक में श्री सिन्हा के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हो जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–590 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक–591 (एस) दिनांक–02.02.2023 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध "तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त" किये जाने का दण्ड संसूचित किया गया।

3. श्री सिन्हा द्वारा सी०बी०आई० कांड में पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर Cr. Appeal No.-403/2019 में दिनांक–21.08.2023 को पारित आदेश में सी०बी०आई० न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए श्री सिन्हा को दोषमुक्त (Acquitted) कर दिया गया। उक्त पारित आदेश के आलोक में श्री सिन्हा के अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–06.10.2023 एवं अन्य के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–590 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक–591 (एस) दिनांक–02.02.2023 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए विभागीय समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा के विरूद्ध संसूचित बर्खास्तगी दंडादेश (विभागीय अधिसूचना संख्या–590 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक–591 (एस) दिनांक–02.02.2023) को मंत्रीपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर तत्काल प्रभाव से विभागीय अधिसूचना संख्या–8273(एस) सहपठित ज्ञापांक–8274 (एस) दिनांक–04.10.2025 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

कृ०पृ०उ०

(30) आई०टी० मैनेजर

4. उक्त के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा दिनांक–04.10.2025 को अपराह्न में विभाग में योगदान समर्पित किया गया। सेवा में पुनर्स्थापन के पश्चात श्री सिन्हा के द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–09.10.2025 के द्वारा इनके बर्खास्तगी अवधि एवं निलंबन अवधि को वैतनिक विनियमित किये जाने का अनुरोध किया गया। श्री सिन्हा द्वारा विभाग में सेवारत नहीं रहने की अवधि में कहीं भी कार्यरत नहीं रहने और आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र समर्पित किया गया।

5. अतः वर्णित तथ्यों तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–12(2)(i) के आलोक में श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड), सम्प्रतिः सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की निलंबन अवधि एवं बर्खास्तगी से सेवा में पुनर्स्थापन के बीच की अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

(i) दिनांक–11.02.2013 से 15.04.2013 तक निलंबन अवधि एवं दिनांक–02.02.2023 से 04.10.2025 तक बर्खास्तगी से सेवा पुनर्स्थापन के बीच की अवधि को प्रत्येक प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में पूर्ण वेतन एवं भत्ते के साथ विनियमित किया जाता है।

(ii) निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन एवं भत्ते के भुगतान के क्रम में निलंबन अवधि में भुगतान किये जा चुके जीवन निर्वाह भत्ता की राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–9(आरोप)–103/2010 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–9(आरोप)–103/2010 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)
अनु० :– यथोक्त।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–9(आरोप)–103 / 2010 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना / अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग / अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०प० उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर / कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर / उप सचिव (निगरानी) / उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव (प्र०को०) / अवर सचिव, मुख्यालय / लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 / 2 / 6 / 13 / 14 एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर, पथ प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रतिः पत्राचार पता–पश्चिम विहार, रंजन पथ, रोड न0–2, बेली रोड, दानापुर, थाना–रूपसपुर, जिला–पटना–801503** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह० / –
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग / सारा–9(आरोप)–103 / 2010 204 (S) पटना, दिनांक :–09/01/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

09.01.2026

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।